दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 21-08-2025

करंट से मौत, हाई कोर्ट ने मुआवजा 4 लाख से बढ़ा 10 लाख किया

हाई कोर्ट ने कहा- बिजली कंपनी जिम्मेदार, बाकी 6 लाख रुपए की राशि 3 महीने में देने के दिए हैं आदेश

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

करंट से मौत के मामले में हाई कोर्ट ने मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश को संशोधित करते हुए 10 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। जस्टिस संजय के अग्रवाल व जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने बिजली कंपनी की जिम्मेदारी ठहराते हुए तीन माह में बाकी 6 लाख रुपए देने के आदेश दिए हैं।

जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम लीमगांव, चरौदा निवासी मनोज कुमार यादव (35) 6 अगस्त 2023 को खेत में काम कर रहा था। पंप चलाने के दौरान वह बिजली के तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी, दो बच्चे और माता-पिता ने 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग करते हुए कोर्ट में मामला प्रस्तुत किया। इसमें कहा कि वह मैकेनिक का काम भी करता था। हर माह करीब 10 हजार रुपए आय थी। जांजगीर-चांपा के कोर्ट ने जुलाई 2024 में फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा और 6% वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया था। इससे असंतुष्ट परिजनों ने हाई कोर्ट में अपील की थी।

अवैध हुकिंग से हुई मौत: कंपनी

सुनवाई के दौरान सीएसपीडीसीएल ने तर्क दिया कि वह अवैध रूप से बिजली लाइन से हुकिंग कर रहा था और इसी कारण उसकी मौत हुई, लिहाजा विभाग पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती।

स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मामला: कोर्ट

हाई कोर्ट ने माना कि मृतक की उम्र 35 साल थी और वह नियमित रूप से मजदूरी व खेती से आय अर्जित करता था। हाई कोर्ट ने शैल कुमारी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यह कठोर दायित्व यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मामला है और बिजली कंपनी जिम्मेदार होगी।

हाई कोर्ट का ये है आदेश

हाई कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया। पहले दिए गए 4 लाख रुपए घटाकर तीन माह के भीतर परिजनों को 6 लाख रुपए देने के आदेश दिए। इस राशि पर 6% वार्षिक ब्याज देना होगा, जो मामला प्रस्तुत करने यानी 31 अक्टूबर 2023 से भुगतान तक लागू रहेगा।